न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 152 / 2013

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 शीलादेवी स्त्री मुरारीलाल जाति खटीक निवासी वार्ड नम्बर 20 अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मालीराम पुत्र मोठुराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम हथोरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

2 जयप्रकाश आगीवाल पुत्र रूपनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम अजीगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

3 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

4 पटवारी हल्का हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

5 सीताराम पुत्र मोठुराम।

6 बंशी पुत्र मोठुराम।

7 हनुमान पुत्र गणपत।

8 मन्जु देवी पुत्री गणपत।

9 चौथी देवी पुत्री गणपत।

10 सुशीला देवी पुत्री गणपत।

11 अमरी देवी पुत्री मोठुराम।

12 फूली देवी पुत्री मोठुराम समस्त जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम हथोरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 05.04.2013
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर मुकदमा
अनुवानी मालीराम बनाम जयप्रकाश आदि मुकदमा
नम्बर 162/2012 अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थिति :

1. श्री लक्ष्मण सिंह सूण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भेभाराम गुर्जर, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 20.12.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 162/2012 में पारित निर्णय दिनांक 05.04.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 1674,1674/1872,1675,1693,1733,1752,1753,1754,1755,1756,1757, 1758,1759,1761,1793/1857 कुल किता 15 कुल रकबा 4.80 हैक्टेयर तन ग्राम हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर स्थित है, जिसके 1/3 भाग के खातेदार मोठुराम पुत्र भेरू जाति कुम्हार निवासी हथौरा ने अपने 1/3 भाग की भूमि में से आधी भूमि अर्थात कुल की 1/6 भाग की भूमि रेस्पोडेंट संख्या 02 जयप्रकाश को दिनांक 31.08.1999 को जरिये रजिस्टर्डड विक्रय पत्र विक्रय करदी व कब्जा रेस्पोडेंट संख्या 2 का अपने स्थान पर करवा दिया व विक्रय पत्र में वर्णित सम्पूर्ण विक्रय राशि प्राप्त कर ली। उक्त विक्रेता मोठुराम रेस्पोडेंट संख्या 01 व 06 लगायत 13 का पूर्वज था। मोठुराम द्वारा करवाये

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

गये विक्रय पत्र दिनांक 31.08.1999 के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 02 जयप्रकाश के हक में ग्राम पंचायत हथोरा द्वारा विवादग्रस्त आराजियात के 1/6 भाग की भूमि के सम्बंध में नामान्तकरण संख्या 130 दिनांक 10.04.2000 को स्वीकार कर दिया जिसके आधार पर कब्जा काश्त व राजस्व रिकार्ड में खातेदारी रेस्पोडेंट संख्या 02 के हक में दर्ज हो गयी जो निरन्तर अपीलांट को विक्रय करने के रोज दिनांक 14.03.2012 तक चली आ रही थी व वर्ततान में 1/6 भाग की भूमि पर अपीलांट बहैसियत खातेदार, काश्तकार काबिज चली आ रही है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजियात के 1/6 भाग की भूमि जरिये रजिस्टर्डड विक्रय पत्र दिनांक 14.03.2012 क्रय करने के बाद रेस्पोडेंट संख्या 01 मालीराम ने दिनांक 14.05.2012 को अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना रेस्पोडेंट संख्या 03 लगायत 13 के विरूद्व एक दावा उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विवादग्रस्त आराजियात के 1/6 भाग बाबत् प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 31.08.1999 को 1/6 भूमि मोटु पुत्र भैरू द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 02 को विक्रय कर कब्जा दे दिया गया। इसका नामान्तकरण तस्दीक हो चुका है। रेस्पोडेंट संख्या 02 जयप्रकाश ने दिनांक 14.03.2012 को भूमि अपीलांट को बेच दी। रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना दिनांक 14.05.2012 को विचाराधीन वाद प्रस्तुत किया गया। जयप्रकाश ने जवाब दावे की पेरा संख्या 06 में स्पष्ट अंकन किया है कि उसने भूमि शीला देवी अपीलांट को विक्रय कर दी स्पष्ट है कि दावा दायरी से पूर्व ही भूमि विक्रय कर दी थी। फिर भी अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया। विचारण न्यायालय में दिनांक 18.02.2013 को आगामी तिथि 15.04.2013 दी गई थी। जिसे कांट छांटकर 05.04.2013 करते हुये उसी दिन विचाराधीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय पारित कर दिया गया। विचारण न्यायालय में तामील की कार्यवाही पूर्ण नही की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी कायम किये बिना, साक्ष्य लिये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। यह निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि मोठुराम ने जयप्रकाश को भूमि विक्रय नही की है। मोठुराम अनपढ़ व्यक्ति था उसे मुगालते में रखकर हस्ताक्षर करवाये गये है। इस फर्जी कार्यवाही का ज्ञान होने पर दावा किया गया। दिनांक 20.12.1999 को समझौता किया यह लिखावट विचारण न्यायालय में पेश की गई। दावा पेश करने के बाद शीला देवी को बेच दिया गया। विचारण न्यायालय में सुनवाई के दौरान शीला देवी स्वंय उपस्थित होकर पक्षकार बन सकती थी। आज भी हम ही काबिज काश्त है शीला देवी का कब्जा काश्त नही है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील सारहीन है खारिज की जावें।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपील जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट ने दावा दायरी से पूर्व पंजिकृत विक्रय पत्र से रेस्पोडेंट संख्या 02 जयप्रकाश से भूमि क्रय की थी। विचारण न्यायालय में वादी ने अपीलांट को पक्षकार संयोजित नही किया। अपीलांट आवश्यक पक्षकार है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.05.2012 को दावा पेश किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांक 18.06.2012 को प्रतिवादी संख्या 01 जयप्रकाश की और से जवाब दावा पेश किया गया। इसके उपरान्त दिनांक 05.04.2013 को विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा न तो शेष पक्षकारों तामील करवाई गई है, न ही वाद एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम की गई, न ही उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त की गई। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई, जवाब दावे का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.01.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर